

10 5
22

पञ्जावली जेठ १९५१ वकील वाडी का आवान
लगाई गई। बार-बार आवान लगाने के कारण
की वकील वाडी न्यायालय में दाखिल नहीं
होने पर वाड का हक दाखिल अफस जेठ
में खासिय किमाला के पञ्जावली वकील
अफार होकर आवान ल कर होकर दाखिल
कराई है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़